B.A. Part III Pol. Sc. (H)
Paper VIII Group 'B'

## भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में समस्याएँ

किसी भी समाज की आधी आबादी महिलाएँ होती हैं। यदि उस समाज को विकसित करना है, तो महिलाओं का विकास इसकी अनिवार्य शर्त होगी। एक लम्बे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण की माँग की जाती रही है तथा सरकारों द्वारा इस हेतु कई तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला का शक्ति-सम्पन्न बनना, लेकिन यह एक संकुचित दृष्टिकोण है। व्यापक रूप से महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, "एक महिला को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाना जिससे वह अपना सम्पूर्ण विकास कर सके।" इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन किया जाना चाहिए जो उनके साथ इसलिए होते हैं क्योंकि वे महिला हैं।

सशक्तिकरण के मार्ग में समस्याएँ— भारत में नारी सशक्तिकरण के मार्ग में बाधाओं को निम्नांकित आधारों पर समझा जा सकता है—

(क) सामाजिक बाधाएँ—

(i) सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाता है। भेदभावपूर्ण का यह चक्रीय क्रम सतत रूप से उनको कमजोर बनाए रखता है।

(ii) समाज में व्याप्त रूढ़ियाँ और परम्पराएँ महिलाओं को मात्र कर्तव्यों की दासी के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं, उनके अधिकारों के प्रश्न पर इनका उचित दृष्टिकोण नहीं है।

(iii) समाज में लम्बे समय से चली आ रही पुरुषवादी मानसिकता ने महिलाओं को कमजोर बनाए रखा है।

(iv) बालिका का इस प्रकार से सामाजीकरण किया जाता है कि वह दूसरों पर निर्भर रहती है।

(v) समाज में महिला सशक्तिकरण के उचित मापदण्ड का अभाव भी एक प्रमुख समस्या रही है। कुछ महिलाओं ने पश्चिम का अन्धानुकरण करके महिला

आन्दोलन को कमजोर किया है।

(b) आर्थिक बाधाएँ –

(i) महिलाओं का अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित होना उनके सशक्तिकरण के मार्ग की मुख्य बाधा है।

(ii) महिलाओं में आर्थिक असुरक्षा की भावना उनके आत्मविश्वास को क्षीण कर देती है जिससे वे सशक्तिकरण के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं कर पाती।

(iii) आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों, जैसे – उद्योग-व्यापार, शेयर बाजार, बड़ी कम्पनियों आदि में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता।

(iv) घरों की जिम्मेदारी संभालने का कार्य अनिवार्य रूप से महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, परन्तु इसके बदले में कोई आर्थिक मूल्य इन्हें प्राप्त नहीं होता।

(c) राजनीतिक बाधाएँ –

(i) राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने में प्रमुख बाधा इनके नेतृत्व को पुरुषवादी मानसिकता के व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं कर पाना है।

(ii) पंचायतों में जहाँ इन्हें एक तिहाई सीटों का आरक्षण मिला हुआ है, उनके कार्यों का निर्वाह परोक्ष रूप से पुरुष सम्बन्धियों द्वारा किया जाता है जो अनुचित होने के साथ-साथ सशक्तिकरण के मार्ग में मुख्य बाधक है।

(iii) संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के मामले को राजनीतिज्ञ जानबूझकर लटका रहे हैं।

(iv) राजनीति में महिलाओं के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के बाद भी निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। राजनीतिक दलों में उनको पर्याप्त महत्व प्राप्त नहीं है।

इस प्रकार हम यह कह

संकेत है कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाएँ बहुआयामी हैं। इन बाधाओं के कारण आधा समाज अपने अधिकारों से वंचित है या फिर अपने अधिकारों का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाओं को हटा दिया जाय और एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जाय।

22.04.2020

Dr. Satyaditya Singh,
Associate Prof. in Pol. Sc., J.M.S. College, Munger.

Scanned with CamScanner